ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर केस सं0–21/23–24

शमसाद अंसारी वगै0 बनाम् इलयास अंसारी

05-09-2023

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदक (1) शमसाद अंसारी, पे0–स्व0 रूपन अंसारी, (2) रसीदा खातुन, पति–हमीद अंसारी, साकिन–नारायणपुर सेमपट्टी, थाना–हनवारा, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा द्वारा समर्पित आवेदन पर मौजा–नारायणपुर सेमपट्टी नं0–462, जमाबंदी नं0–44, दाग नं0–111 के अन्दर रकवा 00–02–00 धूर भूमि से विपक्षी इलयास अंसारी, पे0–स्व0 इदरीस अंसारी, साकिन–नरैनी, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा अपने पत्रांक–1181/रा0, दिनांक–05.07.2023 से जाँचोंपरान्त प्रतिवेदन समर्पित किया तथा उभय पक्ष द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

अंचल अधिकारी, महागामा ने प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी इलयास अंसारी, पे0–स्व0 इदरीस अंसारी, ग्राम–नरैनी के निवासी है, जो आवेदिका रशीदा खातुन की छोटी ननद सईदा खातुन के पति है। इस प्रकार आवेदनगण एवं विपक्षी की पत्नी एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोंपरान्त यह प्रतीत होता है कि उक्त विवाद स्वत्व से संबंधित है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से संभव है। अतः बिना किसी टिप्पणी के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

05.09.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

05.09.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Subhash Chandra Choudhary
Adv
17.10.23

Seen
Md. Saud Ali
Adv.
17/10/2023

Digitally signed by SAURABH KUMAR BHUWANIA
Date: 2023.10.17 16:36:02 +05:30
Location: 192.168.1.48